सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-397/2022 **दिनांक- 01-दिसम्बर-2022**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना सिधारी

किसान रमेश यादव को अगवा कर 20 दिनो से बंधक बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने वाले पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त का सहयोगी गिरफ्तार

पूर्व की घटना .. वादिनी सुभावती देवी पत्नी रमेश यादव ग्राम इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 27.11.2022 को थाना सिधारी पर तहरीर दिया कि उसके पति रमेश यादव को विपक्षीगण 1- सन्तराज यादव पुत्र लालचन्द सा0 इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर आजमगढ़ 2- सुनिल कुमार यादव पुत्र सुबाष यादव सा0 बरही थाना सिधारी आजमगढ़ 3- देवेन्द्र यादव पुत्र बालदीन यादव सा0 हेगापुर थाना सिधारी आजमगढ़ 4- आशीष यादव पुत्र राजेश यादव सा0 हेगापुर थाना सिधारी आजमगढ़ के द्वारा जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर 7 विस्वा जमीन बिना कोई पैसा दिये बैनामा करा लिया गया है व पति को कही बंधक बनाकर छिपा दिया गया है और छोड़ने के नाम पर 02 लाख रुपये की माँग करने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 434/22 धारा 364ए0 भादवि के पंजीकृत किया गया।
दिनांक- 27.11.2022 को मुकदमा उपरोक्त में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।
दौरान विवेचना संकलित साक्ष्यों से अपहृत रमेश यादव को धोखा देकर उसकी जमीन की कम कीमत बताकर बैनामा कराने वाले बैनामा लेखक उमेश चन्द्र सिंह पुत्र राधे प्रसाद सिंह निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा लाभ प्राप्त करना पाया गया जिस पर उन्हे प्रकाश में लाया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/420 भादवि की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 01.12.2022 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त उमेश चन्द्र सिंह पुत्र राधेप्रसाद सिंह सा0 उकरौड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद आजमगढ़ को रजिस्ट्री कार्यालय सिधारी स्थित उनके कक्ष से समय 13.20 बजे गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि बैनामा लेखक के रूप में रजिस्ट्री कार्यालय सिधारी पर पंजीकृत हूं तथा संतराज यादव निवासी देवकली तथा सुनील कुमार यादव निवासी बरही को भली भांति जानता हूं जो लोग बैनामा कराने के लिए मेरे पास आते रहते हैं तथा फायदे के लिए जमीन की मालियत कम दिखाने पर मुझे रूपये देते हैं चूंकि मैं यहां पर काम करता हूं इसलिए उनके साथ आने वाले गरीब किसान मेरी बात का विश्वास कर लेते हैं। संतराज यादव ने मेरे यहां 01.10.2022 को अरूण कुमार दूबे व ओमप्रकाश यादव के बीच का बैनामा, दिनांक 09.11.2020 को रतन कुमार व विनोद के मध्य का बैनामा तथा दिनांक 01.07.2021 को बबलू पुत्र सदन व फैजुर रहमान का बैनामा व विनोद कुमार व श्रीमती संगीता देवी के बीच का बैनामा कराया था जिसमें सभी विक्रेता देवकली व उसके आस पास के गांव के थे । इसी प्रकार मार्च 2021 में मंतोरनी देवी द्वारा हिमांशू व सुनील कुमार यादव को बेची गयी जमीन का बैनामा संतराज व सुनील ने करवाया था। इस प्रकरण में भी संतराज और सुनील, रमेश यादव को लेकर मेरे पास आये थे उस दिन लगभग तीन बज जाने के कारण मैने बैनामा न होने की बात बतायी तथा अगले दिन सर्वर डाऊन था इसलिए बैनामा नहीं हुआ। फिर यह लोग दिनांक 09.11.2022 कत आये तथा मुझसे कहे कि रमेश को आप समझा बुझा दीजियेगा जिससे उसकी जमीन कम कीमत में हम लोगों को मिल जाय तथा इस काम के लिए मैने उनसे दो लाख रूपये लिये। मैने रमेश को बताया कि तुम्हारी जमीन कृषि कार्य के लिए है तथा आबादी से दूर है इसलिए उसकी कीमत कम है जबकि वह कह रहा था कि वहां पर जमीन आठ दस लाख रूपये बिस्वा बिक रही है। परन्तु मैने उसे समझा बुझाकर धोखा देकर उसके जमीन का बैनामा सुनील यादव के नाम करा दिया। यह पूछे जाने पर कि बैनामे पर लेखक के रूप में शशिकान्त सिंह का नाम क्यों है तो उन्होने बताया कि सभी लोग मेरे पास आते हैं तथा मैं बैनामा दूसरों के द्वारा लिखवाकर उन्हे उनकी फीस दिला देता हूं तथा धोखा धड़ी करके जो लाभ मिलता है वह मैं स्वयं ले लेता हूं ।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 434/22 धारा 364ए/419/420 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त

1- उमेश चन्द्र सिंह पुत्र राधे प्रसाद सिंह निवासी उकरौड़ा थाना कोतवाली आजमगढ़ उम्र करीब 53 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस

1. व.उ.नि. संजय कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- जहानागंज

चोरी की घटना का अनवारण; चोरी गये मशीन (कीमत लगभग 65 हजार रूपये) के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 30.11.22 को वादी मुकदमा श्री रवि प्रताप सिंह S/O विजेन्द्र सिंह ग्राम पोडरीझिल्लीपार पोस्ट बैदौली थाना खुखुन्दू जिला देवरिया उपस्थित थाना आकर एक किता तहरीर दिये कि अज्ञात चोरों द्वारा दिनांक 27.11.22 को अटल आवासीय विद्यालय गम्भीरवन से पावर फ्लोटर मशीन साइट जिसकी कीमत 65000/रुपये हैं को चोरी कर लिये है के सम्बन्ध मे प्राप्त प्रा0पत्र के आधार पर थाना स्थानीय में मुकदमा अपराध संख्या 471/22 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:

दिनांक 01.12.22 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश मे आये अभियुक्त सचिन राजभर पुत्र कन्हैया राजभर निवासी खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ को गम्भीरवन के बड़ैला ताल के पास से समय करीब 09.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटर, एक अदद पंखी (चौखटा), एक अदद गियर बक्शा, एक अदद हैण्डल, एक अदद राड, एक अदद स्टाटर (कीमत 65, 000 रुपये) व एक अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ विवरण— गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मै व मेरे ही गांव के मेरे साथी अमन राजभर पुत्र रामदुलारे व विवेक राजभर पुत्र जयशंकर ने मिलकर दिनांक 27.11.22 को अटल आवासीय विद्यालय गम्भीरवन से पावर फ्लोटर मशीन को चुराकर यही पर झाड़ी में इसको अलग अलग खोलकर रखे थे, आज हम लोग इसे बेचने वाले थे, कि आपने मुझे पकड़ लिया और जो मेरे दो साथी अमन राजभर व विवेक राजभर थे, वे भाग गये।

पंजीकृत अभियोग:-

1-मु0अ0सं0 471/22 धारा 379, 411 भादवि थाना जहानागंज आजमढ़।

2-मु0अ0सं0 472/22 धारा 4/25 A.ACT थाना जहानागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- सचिन राजभर पुत्र कन्हैया राजभर निवासी खल्लोपुर थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी –

1- एक अदद मोटर, एक अदद पंखी (चौखटा), एक अदद गियर बक्शा, एक अदद हैण्डल, एक अदद राड, एक अदद स्टाटर (कीमत 65, 000 रुपये)
2- एक अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1- उप निरीक्षक ओमप्रकाश का0 ऋषि कुमार का0 मनोज कुमार यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- मेंहनगर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 30.11.2022 को उ.नि. श्री अभिषेक सिंह मय हमराह द्वारा कस्वा मेंहनगर में स्थित रौजा किला से अभियुक्त विकास कुमार पुत्र रमेश राम ग्राम हटवा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ की जामा तलाश के दौरान उसके पास से एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुए समय करीब 20.50 बजे दिनांक 30.11.2022 को को गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं. 365/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1 – विकास कुमार पुत्र रमेश राम ग्राम हटवा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ

बरामदगी –

एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ.नि. श्री अभिषेक सिंह मय हमराह का0 अनिल गौड़ व का0 अभिषेक यादव

थाना- मेहनाजपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- दिनांक घटना 10.08.2010 से अब तक घटनास्थल ग्राम प्रा0वि0 नरायनपुर साउथ शिक्षा क्षेत्र तरवा जनपद आजमगढ जिला बेसिक शिक्षाधिकारी आजमगढ के पत्रांक आदेश संख्या नियुक्ति /4043-4055/2010-11 श्री आशुतोष सिंह पुत्र श्री विनय सिंह ग्राम शिवरी प्रेमराजा पो. इब्राहिमपट्टी थाना भीमपुरा जिला बलिया द्वारा प्रतिरूपण करके धोखधड़ी एवं श्री आशुतोष सिंह पुत्र श्री विनय सिंह प्रधानाध्यापक गोल्हौरा मुस्तहकम विकास क्षेत्र बढ़नी जिला सिद्धार्थ नगर निवासी आदर्श कालोनी गड़ाकुल शोहरतगढ़ सिद्धार्थ नगर के शैक्षणिक दस्तावेज को कूटरचित कर प्रयोग करके छद्मनाम से प्रार्थमिक विद्यालय नारायणपुर थाना मेहनाजपुर विकास खण्ड तरवा जनपद आजमगढ़ में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पाकर कार्य करते रहे एवं जांचोपरांत दिनांक 29.10.2021 से लगातार अनुपस्थित रहकर अपना नियुक्ति के दौरान लगाये प्रमाणपत्र का कोई भी साक्ष्य उपस्थित नही करने व बदस्तूर फरार रहने के सम्बन्ध में -

गिरफ्तार अभियुक्त- दिनांक 30.11.2022 को उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त देव प्रकाश यादव पुत्र स्व0 तारा यादव निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को इटैली तिराहे के पास से समय 18.05 बजे गिरफ्तार किया गया उसके कब्जे से एक प्लास्टिक के बैग मे रखा शैक्षिक प्रमाण पत्र /अंक पत्र बरामद हुआ | जिसका मौके पर ही अवलोकन किया गया तो शैक्षिक प्रमाण पत्रो / अंक पत्रो पर अभियुक्त देवप्रकाश उपरोक्त का नाम अंकित है | पकड़े गये व्यक्ति उपरोक्त से शैक्षिक प्रमाण पत्रो / अंक पत्रो पर अंकित नाम पता के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछने पर बताया कि साहब शैक्षिक प्रमाण पत्रो / अंक पत्रो पर जो नाम अंकित है मेरा ही असली नाम है | मेरा असली नाम **देवप्रकाश यादव पुत्र स्व0 तारा यादव निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष है** |मैने ही प्रा0वि0 नरायनपुर पर आशुतोष नाम के व्यक्ति का फर्जी शैक्षिक सार्टिफिकेट व अन्य प्रपत्र लगाकर ग्राम शिवरी प्रेमरजा इब्राहिम पट्टी थाना भीमपुरा जनपद बलिया का फर्जी नाम पता दर्शाकर वर्ष 2010 मे सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी कर प्राप्त किया था। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1- मु.अ.स. 92/2022 धारा 419,420,467,468,471 भादवि IPC भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास :-

1- मु.अ.स. 92/2022 धारा 419,420,467,468,471 भादवि IPC भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1- देवप्रकाश यादव पुत्र स्व0 तारा यादव निवासी उसरी खुर्द थाना दोहरीघाट जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

1-अभियुक्त उपरोक्त के पास से अभियुक्त उपरोक्त के वास्तविक नाम का मूल अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र / अंक पत्र का बरामद होना |

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

01. उ0नि0 सूर्यकान्त पाण्डेय मय हमराह थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ ।

थाना- गम्भीरपुर

मारपीट में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 03.11.2022 को आवेदक सुनील कुमार रावत पुत्र ज्ञानचंद निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे गांव के ही हरीश चंद्र रावत आदि चार नफर द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट किए जिसमें अधिक चोट लगने के कारण सहवाग मौके पर ही बेहोश हो गया जिस के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 372 /22 धारा 323 308 आईपीसी बनाम हरीश चंद्र रावत आदि पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक राकेश तिवारी द्वारा संपादित की जा रही थी

आज दिनांक 01-12-22 को गम्भीरपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त हरिश्चंद्र रावत व पंकज इस समय अमिलिया हाइवेज के पास समय करीब 8:30 बजे अभियुक्त हरिश्चंद्र रावत पुत्र पुत्र पततर, पंकज पुत्र गुलाब निवासी गढ़ अमिलिया थाना गंभीरपुर आजमगढ़ को गिरफ्तार कर नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1- 372 /22 धारा 323 308 आईपीसी, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- हरिश्चंद्र रावत पुत्र पुत्र पततर, निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर आजमगढ़
2- पंकज पुत्र गुलाब निवासी अमिलिया थाना गंभीरपुर आजमगढ़

पुलिस अधीक्षक ने थाना निजामाबाद का किया वार्षिक निरीक्षण

आज दिनांक- 01.12.2022 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा थाना निजामाबाद का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर शक्ति मोहन अवस्थी व अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण मौजुद थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा निम्नवत दिशा-निर्देश दिये गये-

➡थाना परिसर से बनी जल निकास नालियों व चेम्बर की साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

➡थाना परिसर में अपराध शिर्षकवार वाहनों को खड़ा किया जाय तथा नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

➡बैरकों का निरीक्षण किया गया तथा क्षतिग्रस्त खिड़कियों का मरम्मत करायी जाय ।

➡मेस में भोजन बनाने वाले लोग स्वयं साफ सफाई रखें। मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन तैयार हो। साग-सब्जियों व आदि राशन को व्यवस्थित तरिके से रेक में रखना सुनिश्चित करें।

➡थाना कार्यालय के पीछे 03 हैण्ड पाइप लगे है, जिसमें एक ठीक है तथा खराब 02 हैण्ड पाइपों का मरम्मत की जाय।

➡नवनिर्माणाधीन विवेचना कक्ष के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर न दिये जाने पर थाना प्रभारी को निर्देश ।

➡विभागीय अनुशासन के अनुरूप बाल की कटिंग रखें। लम्बे बाल रखने वाले सलामी गार्द में नियुक्त कर्मियों को चेतावनी ।

➡शस्त्र चालन के सम्बन्ध उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी गणों से जानकारी ली तथा उनको बार-बार अभ्यास किये जाने का निर्देश ।

➡कुर्की से सम्बन्धित माल, अभियुक्त के न्यायालय में हाजिर अदालत होने के उपरान्त भी उसके माल लम्बित है, निर्देशित किया गया कि अविलम्ब बुलाकर नियमानुसार उनके माल को सुपुर्द किया जाय।

➡थाना कार्यालय में रखी आलमारी से अभिलेखो का अवलोकन किया गया।

➡अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टिया अध्यावधिक न होने पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
समय-समय पर स्थान बदलकर प्रभावी चेकिंग की जाय।

थाना-जीयनपुर

हत्या के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपया जुर्माना

➡दिनांक- 12.04.2016 को वादिनी श्रीमती कमली देवी पत्नी स्व0 सुरेश सिंह निवसी भीमपूरा, थाना भीमपुरा, जनपद बलिया ने थाना जीयनपुर पर शिकायत किया कि वादिनी की पुत्री का विवाह प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह निवासी अलीयाबाद कटाई थाना जीयनपुर आजमगढ़ के साथ हुआ था। जिसमें विपक्षी (पति) प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह उपरोक्त व (भाभी) विभा पत्नी रमाशंकर द्वारा योजनाबद्ध तरीके से वादिनी की पुत्री को मिट्टी तेल छिड़कर जला दिया गया ।

➡जिसके सम्बन्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0- 73/16 धारा 302, 307 भादवि बनाम प्रदीप उपरोक्त व विभा उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

➡दिनांक- 18.04.2016 को अभियुक्त प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया था।

➡दिनांक- 18.07.2016 को अभियुक्ता विभा पत्नी रमाशंकर उपरोक्त हाजिर अदालत हुयी थी।

➡दिनांक- 29.11.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 08, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. प्रदीप पुत्र स्व0 रामदेव सिंह उपरोक्त, 2. विभा पत्नी रमाशंकर उपरोक्त को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।